(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 12.04.2023 का कार्यवृत

मैसर्स हिन्द खनिज, द्वारा प्रस्तावित सिलिका सैण्ड, चाईना क्ले एण्ड मेसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 13.728 हैक्टेयर (विपथित वन भूमि–5.9095 हैक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 7.8185 हैक्टेयर) खनन पट्टा संख्या 07/1970, उत्पादन क्षमता 31,01,400 टन प्रति वर्ष (रोम) के साथ– साथ 3000 टन प्रति दिन क्षमता के प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट एवं मिनरल बेनिफिकेशन प्लान्ट, निकटग्राम बदरेटा, ग्राम पंचायत –कुढावल तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 12.04.2023 का कार्यवाही विवरण

मैसर्स हिन्द खनिज, द्वारा प्रस्तावित सिलिका सैण्ड, चाईना क्ले एण्ड मेसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 13.728 हैक्टेयर (विपथित वन भूमि–5.9095 हैक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 7.8185 हैक्टेयर) खनन पट्टा संख्या 07/1970, उत्पादन क्षमता 31,01,400 टन प्रति वर्ष (रोम) के साथ– साथ 3000 टन प्रति दिन क्षमता के प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट एवं मिनरल बेनिफिकेशन प्लान्ट, निकट ग्राम बदरेटा, ग्राम पंचायत –कुढावल तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 (EIA,2006) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक जनसुनवाई दिनांक 12.04.2023 को प्रातः 11.30 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली में **श्री. मुरलीधर प्रतिहार** अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधि) एवं श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिती में आयोजित की गई।

जनसुनवाई की सूचना 30 दिवस पूर्व राजस्थान पत्रिका करौली–हिण्डौन पत्रिका, जिला करौली दिनांक 24.02.2023 एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 25.02.2023 को पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकाशित की जा चुकी हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., सवाई माधोपुर ने अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स हिन्द खनिज, द्वारा प्रस्तावित सिलिका सैण्ड, चाईना क्ले एण्ड मेसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 13.728 हैक्टेयर (विपथित वन भूमि–5. 9095 हैक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 7.8185 हैक्टेयर) खनन पट्टा संख्या 07/1970, उत्पादन क्षमता 31,01,400 टन प्रति वर्ष (रोम) के साथ– साथ 3000 टन प्रति दिन क्षमता के प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट एवं मिनरल बेनिफिकेशन प्लान्ट, निकट ग्राम बदरेटा, ग्राम पंचायत –कुढावल तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोजित की जा रही हैं।

श्री दीपेन्द्र झरवाल ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली, सरपंच ग्राम बदरेटा एवं पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों का अभिनन्दन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जन चेतना का विकास होता है साथ ही परियोजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में आमजन की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते है। श्री झरवाल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियॉ सुझाव/राय दे सकते हैं। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली की अनुमति से ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा खनन परियोजना, खनन कार्य स्टोन क्रेशर/मिनरल प्लान्ट से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं उपाय, वृक्षारोपण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के उपाय, परिवहन मार्ग मरम्मत, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

दीपेन्द्र

तत्पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली द्वारा पधारे गए लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्ति/राय बताने को कहा गया।

इसके पश्चात् सर्वप्रथम **राजेश मीना** सरपंच, ग्राम पंचायत – कुढावल द्वारा पूछा गया कि अगर उक्त खनन परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी हो जाती है और उनके द्वारा जनसुनवाइ में बताये गये बिन्दुओं यथा :– वृक्षारोपण, वाहनों से प्रदूषण, वाहनों द्वारा मार्ग का क्षतिग्रस्त होना, पानी का छिडकाव आदि पर खरा नही उतरे तो हम क्या कर सकते है। जवाब में ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा बताया गया कि अगर खननकर्ता द्वारा ऐसा पाया जाता है तो उसकी शिकायत आप खनन विभाग, करौली/सम्बन्धित विभाग, जिला प्रशासन करौली को कर सकते है साथ ही खननकर्ता द्वारा प्रत्येक छः माह में पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को भी प्रेषित करनी होती है।

राजेश मीना सरपंच, ग्राम पंचायत – कुढावल द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत को खनन परियोजना से कोई आपति नहीं है । उन्होने हर्ष जताते हुए बताया की इस परियोजना के आने से निकट भविष्य में हमारे गाँव में उद्योग एवं व्यवसाय में बढोतरी होगी साथ ही साथ ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

इसके बाद **श्री छोटू सिंह चौहान निवासी ग्राम बदरेटा** द्वारा पूछा गया कि उक्त खनन परियोजना के आरम्भ होने से पूर्व आबादी क्षेत्र की सीमा एंव खनन क्षेत्र के बारे मे बताया जाये तथा आबादी क्षेत्र में नलकूपों के खराब होने की समस्या उत्पन्न न हो। इसके जवाब में श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. सवाई माधोपुर द्वारा बताया गया कि खनन पटटा खनन विभाग द्वारा आबादी से पर्याप्त दूरी छोडकर ही आवंटन किया जाता है। साथ ही खननकर्ता द्वारा खनन कार्य करते वक्त भू–जल स्तर के नीचे खनन कार्य नही किया जावेंगा, इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा खनन मालिक व ग्राम पंचायत सरपंच को खनन के सीमा ज्ञान एंव खनन के पिल्लर प्रदान करते समय श्रीमान छोटू सिंह व अन्य को साथ रखने के निर्देश दिये।

श्री **सुरेन्द्र मीना, निवासी ग्राम कुढावल** द्वारा सवाल किया गया कि खनन ईकाई द्वारा परिवहन के साधनों से जो मार्ग क्षतिग्रस्त होगा उनके लिये खननकर्ता क्या करेगा। जवाब में ईकाई के तकनीकी परामर्शकर्ता द्वारा बताया गया कि परिवहन द्वारा मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो खननकर्ता द्वारा परिवहन मार्गो की मरम्मत के लिये 1.5 लाख रू प्रतिवर्ष खर्च किया जायेगा। इस पर **श्री. मुरलीधर प्रतिहार** अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधि) द्वारा सुझाव देते हुये कहा गया कि इस राशि को खनन कर्ता द्वारा बढाया जावें साथ ही श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी रा. प्र.नि.म. सवाई माधोपुर द्वारा सुझाव देते हुये कहा गया कि हर दो –तीन महीनों के अंतराल में ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित रखते हुये मार्ग का रखरखाव कार्य किया जावें।

श्री छोटू सिंह चौहान निवासी ग्राम बदरेटा द्वारा पूछा गया कि जो पेड पौधे लगवाए जा रहे है उनकी देखभाल जैसे पानी देना, बाड करना एवं सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी किसकी होगी और कैसे की जाएगी। जवाब में प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट ने बताया गया कि पेड पौधो के चारों ओर जाल लगाया जाएगा एवं टेंकर द्वारा समय समय पर पानी दिया जाएगा।

श्री राजेश मीना, सरपंच ग्राम पंचायत कुढावल ने पधारे लोगो से पुनः आग्रह किया कि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस जन सुनवाई में रख सकते है।

श्री **विनोद कुमार मीना निवासी ग्राम शंकरपुर** ने बताया कि उनके गॉव में प्रचार–प्रसार उचित रूप से नही हुआ। जिससे शंकरपुर गॉव से केवल दो व्यक्ति ही इस जन सुनवाई में उपस्थित हुये है जबकि शंकरपुर गॉव की जनसंख्या लगभग तीन हजार है। श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. सवाई माधोपुर द्वारा जवाब देते हुये कहा गया कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के

दीपेन्द्र

प्रावधानों की पालना में जनसुनवाई की सूचना 30 दिवस पूर्व समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका करौली–हिण्डौन पत्रिका, जिला करौली दिनांक 24.02.2023 एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 25.02.2023 को प्रकाशित की गई थी साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारी सारांश, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना की भी एक –एक प्रतिलिपि रखवाई गई थी साथ ही ग्राम पंचायत व आवेदक द्वारा वाहनों से प्रचार–प्रसार किया गया था।

तत्पश्चात **श्री गुमान सिंह राजपूत, निवासी बदरेटा** द्वारा बताया गया कि प्रचार –प्रसार का वाहन बदरेटा, शंकरपुर गॉव भी गया था किन्तु गॉव में दो आकस्मिक मौतों की वजह से जोर–शोर से प्रचार नही किया गया था तथा श्रीमान गुमान सिंह द्वारा अनुरोध किया गया की खनन परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र में खनन गतिविधियों को बढाया जाए ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिले तथा स्थानीय ग्रामवासियों के वाहन इस खनन परियोजना में चल सके ताकि इस परियोजना से स्थानीय ट्रेक्टर चालको को रोजगार मिल सकें और क्षेत्र विकास के प्रगतिपथ पर आगे बढ सकें। उक्त खनन परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने पर उन्हे कोई आपति नही हैं।

श्री छोटू सिंह चौहान निवासी ग्राम बदरेटा द्वारा बताया गया कि खनन कर्ता को हमारा पूरा सहयोग रहेगा और खनन कर्ता पौधारोपण का कार्य ट्रीगार्ड के साथ करे। उक्त खनन परियोजना से उन्हे कोई आपति नही है तथा खनन परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु समय समय पर पानी का छिडकाव किया जाता हैं।

राजेश मीना सरपंच, ग्राम पंचायत – कुढावल द्वारा बताया गया कि अगर खनन परियोजना से किसी का अहित होगा तो प्रशासन व ग्राम पंचायत, खनन कर्ता और सम्बन्धित विभाग समस्या का समाधान करेंगे। इस परियोजना में लगाए गए पेड पौधों की संख्या मानसुन को देखते हुए बढाई जाए तथा क्षेत्र में एम्बुलेंस जैसी चिकित्सा सुविधाऐ भी प्रदान की जावे।

इसके बाद श्री दीपेन्द्र झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. सवाई माधोपुर ने सुझाव दिया कि आवेदक मैसर्स हिन्द खनिज द्वारा पर्यावरण सरंक्षण, सामाजिक दायित्व इत्यादि की पालना होनी चाहिये। सिलकोसिस बिमारी की रोकथाम के लिये श्रमिकों को मॉस्क/किट दिया जाना चाहिये । स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये । नैत्र की जॉच के साथ – साथ श्वास सम्बंधी जॉचे भी होनी चाहिये । नियंत्रित ब्लास्टिंग , वृक्षारोपण, गॉव में लाईब्रेरी मय कम्प्युटर बनवाई जावें। जवाब में आवेदक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हमारी ईकाई द्वारा उक्त बताये गये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से किये जायेंगे।

इसके बाद **श्री. मुरलीधर प्रतिहार** अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधि) द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रावधानों के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिये और सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से गॉवों के विकास कार्य किये जाने चाहिये । परिहवन मार्ग मरम्मत के लिये प्रस्तावित राशि को बढाया जाना चाहिये। वृक्षारोपण, श्रमिक कल्याण के कार्य किये जाने चाहिये।

इसके पश्चात श्री झरवाल द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, करौली एवं पधारे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देकर जनसुनवाई समाप्त की गई।

(दीपेन्द्र झरवाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म.,सवाईमाधोपुर

(मुरलीधर प्रतिहार)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट,
करौली

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स हिन्द खनिज़ द्वारा. स्टोन सिलिका सैण्ड एवं चायना क्ले (माईनर मिनरल्स), माईनिंग लीज क्षेत्रफल–13.728 हैक्टेयर, एम.एल. नं. 07 / 1970, उत्पादन क्षमता– 3101400 टी.पी.ए. (रोम) माईनिंग प्रोजेक्ट के साथ–साथ 3000 टीपीडी का प्रस्तावित क्रेशर प्लांट और मिनरल बेनिफिसियेशन प्लांट, निकट ग्राम बदरेटा, तहसील–टोडाभीम, जिला–करौली (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.04.2023 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

स्थान : जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत– कुढावल स्थित " राजीव गांधी सेवा केन्द्र " तहसील– टोडाभीम, जिला करौली।

दिनांक : 12.04.2023

समय : प्रातः 11.30 बजे

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	कार्यालय / ग्राम	हस्ताक्षर
1.	M.D. Prabhu Lal	ADM Karauli	[illegible]
2.	दीपेन्द्र इस्टवाल	R.O. RSPCB, [illegible]	दीपेन्द्र
3.	राजेश कुमार मीणा	सरपंच	[illegible]
4.	शिवचरण मीणा		[illegible]
5.	फतेह सिंह ब्रजवासी	ग्रा.वि.अ.	[illegible]
6.	Ravi Kumar (Environment Consultant)	Vibrant technoLab Pvt. Ltd.	Ravi Kumar
7.	Vikas Bhama (Environment Consultant)	Vibrant technolab Pvt. Ltd.	[illegible]
8.	Er. Susheel Kr. Meena	M/s Hind Khanij Project Proponent	[illegible]
9.	प्रेमसिंह	कुढावल	प्रेमसिंह
10.	नरपत सिंह	कुढावल	नरपत सिंह
11.	मुरली सिंह	कुढावल	नि. मु
12.	राजेन्द्र सिंह	[illegible]	राजेन्द्र

13.	मुकटसिंह	कुडावल	मुकटसिंह
14.	ब्रजमोहन शर्मा	शंकरपुर	[illegible]
15.	धीरज गुर्जर	कुडावल	धीरज
16.	केशव सिंह	कुडावल	KG
17.	Surendar	Kudwhal	[illegible]
18.	नाहरसिंह	शंकरपुर	Nsingh
19.	जीतराम	बदलेटा खुर्द	जीतराम
20.	Banasingh	Shanpur	Banz
21.	बन्नीलाल	शंकरपुर	बन्नीलाल
22.	ओमप्रकाश	शंकरपुर	ओमप्रकाश
23.	संजयराम	शंकरपुर	Sanjay
24.	MANISH	ShankarPur	manish
25.	लक्ष्मण	शंकरपुर	लक्ष्मण
26.	शिवसिंह	शंकरपुर	शिवसिंह
27.	श्यामलाल	शंकरपुर	श्यामलाल
28.	शिवदयाल मीना (गाजी)	〃	शिव[illegible]
29.	गाजी मीना	शंकरपुर	गाजी
30.	गजराज सिंह	कुडावल	[illegible]
31.	प्रेमसिंह	बदलेटा खुर्द	Prem
32.	कप्तान सिंह	कुडावल	कप्तान सिंह
33.	जगदीश	कुडावल	[illegible]
34.	अशोक गुर्जर	कुडावल	अशोक
35.	रामगोपाल	कुडावल	रामगोपाल
36.	बनवारीलाल	बालावास	बनवारी

37.	घनश्याम मीना	नांगल मोडल	[illegible]
38.	काडूराम	कुडावल	काडूराम
39.	जगमोहनसिंह	मालावास	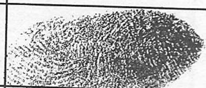
40.	भगवानसिंह	कुडावल	भगवानसिंह
41.	धारासिंह	शंकरपुर	[illegible]
42.	रामधन	"	रामधन
43.	महेशचंद	"	[illegible]
44.	रामदेव	"	[illegible]
45.	दयाराम	"	दयाराम
46.	मानसिंह	मालावास	मान
47.	सुरेश प्रजापत	शंकरपुर	सुरेश
48.	बदरीप्रसाद	बदलेटा	बदरीप्रसाद
49.	प्रकाश चंद	बदलेटा	प्रकाश
50.	सतीशराम	बदलेटा	सतीश
51.	हरिमोहन	शंकरपुर	हरि
52.	बनवारी	मोहनपुर	बनवारी
53.	भोला	" "	भोलाराम
54.	रतीराम	" "	[illegible]
55.	चिरंजी लाल	" "	चिरंजीला.
56.	हीरालाल	" "	हिरालाल
57.	पवन	कुडावल	[illegible]
58.	शंकरसिंह	मोहनपुर	[illegible]
59.	अवधेश	कुडावल	[illegible]
60.	बबलु राम	बदलेटा	बबलु

61.	राजेश्वर मीना	फतेहपुर	राजेश्वर मीना
62.	लिखमी मीना	गोहन्दपुर	[signature]
63.	लेखराम प्रजापत	कुडावल	लेखराम प्रजापत
64.	पप्पूराम मीना	सेवपुरा	[signature]
65.	गजेन्द्र कुमार	बालावास	[signature]
66.	राजवीर	कुडावल	[signature]
67.	मोहन सिंह	बालावास	[signature]
68.	मुकेश चन्द मीना	रिवलाचिपुर	[signature]
69.	Kuldeep meena	JEE, RSPCB	[signature]
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			